तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3089/2006/अलवर सरकार बनाम धन्नू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–

श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 01–12–2020

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 01–02–2006 के द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अलवर ने अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा की साबिक आराजी खसरा संख्या 19 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 133 रकबा 0–25 हैक्टर कायम किए गए है। विवादित साबिक खसरा संख्या 19 जमाबंदी सम्वत 1999 में किस्म नला दर्ज है। ऐसी भूमि पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को पूर्ववर्ती गैरमुमकिन नला सिवायचक के रूप में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैरमुमकिन नला सिवायचक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3089/2006/अलवर सरकार बनाम धन्नू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान की गयी खातेदारी को निरस्त कर राजस्व अभिलेख में भूमि को पूववर्ती गैर मुमकिन नला सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मानपुरा की साबिक आराजी खसरा संख्या 19 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 133 रकबा 0-25 हैक्टर कायम किए गए है। विवादित साबिक खसरा संख्या 19 जमाबंदी सम्वत 1999 में किस्म नला दर्ज है। ऐसी भूमि पर नियमानुसार किसी भी काश्तकार को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती।

उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-08-1947 की स्थिति को रेकार्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3089/2006/अलवर सरकार बनाम धन्नू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुसार बहाल किया जाना है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज की गई खातेदारी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा मानपुरा स्थित विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 133 रकबा 0–25 हैक्टर में से 0–16 हैक्टर भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान की गयी खातेदारी को निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती गैरमुमकिन नला सिवायचक भूमि के रूप में अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3089/2006/अलवर सरकार बनाम धन्नू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए